दिनांक–22.01.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी/विपक्षी सं० 2 की ओर से प्रार्थनापत्र 13 ख पर बल देते हुए कथन किया है कि उपरोक्त क्रिमिनल रिवीजन श्रीमती शशी देवी द्वारा वाद संख्या 391/2025 श्रीमती मुन्नी देवी बनाम शशी देवी मामले में न्यायालय नगर मजिस्ट्रट मथुरा द्वारा पारित व निर्णय आदेश दिनांक 15.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिवीजन दिनांक 27.08.2025 को पंजीकृत हुआ था और विपक्षीगण को नोटिस जारी करते हुए अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.09.2025 नियत की गयी थी। रिवीजन पंजीकृत होने के बाद यह रिवीजन अंतरित होकर दिनांक 01.09.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुए था और न्यायालय ने सुनवाई हेतु नियत तिथि (26.09.2025) पर प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया था, लेकिन न्यायालय ने दिनाक 02.09.2025 को मामले में बिना किसी नियत निथि के व विपक्षीगण को सूचित किये बिना रिवीजनकर्ता के प्रार्थनापत्र 6 ख पर सुनवाई करते हुए, विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के क्रियान्वयन पर अग्रिम तिथि पर रोक लगा दी थी। यह उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण को पहली बार नोटिस दिनांक 07.10.2025 को जारी किये गये थे, लेकिन न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2025 में अंकित किया गया है कि रिवीजनकर्ता के प्रार्थनापत्र 6 ख पर विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। पत्रावली के आदेश पत्र से स्पष्ट है कि दिनांक–02.09.2025 को सुनवाई के लिए विपक्षीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और न सुनवाई हेतु मामले में दिनांक 09.02.2025 नियत तिथि थी। इससे प्रतीत होता है कि मामले में न्यायिक स्वच्छता और न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2025 से पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.07.2025 के अनुपालन में थाना पुलिस ने आदेश का अनुपालन करते हुए, रिवीजनकर्ता के अवैध दरवाजे को दीवार लगाकर बंद कर दिया था। उपरोक्त स्थिति में आदेश दिनांक 02.09.2025 को आगे बढ़ाया जाना औचित्यहीन है। अतः प्रार्थी ने अंतरिम आदेश दिनांक 02.09.2025 को वापिस कर आगे न बढ़ाये जाने और रिवीजन का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने का कथन किया है।

इसके विपरित प्रार्थिया/रिवीजनकर्ती की ओर से प्रार्थनापत्र 13 ख के विरूद्ध आपत्ति दिनांकित 22.01.2026 प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उपरोक्त रिवीजन नगर मजिस्ट्रेट मथुरा के आदेश दिनांकित 15.07.2025 के विरूद्ध किया गया था तथा रिवीजन प्रस्तुत करते समय ही दिनांक 27.08.2025 को रिवीजन अंगीकृत होने के समय ही विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.07.2025 के क्रियान्वयन को स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। रिवीजन अंगीकृत के समय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, उक्त रिवीजन अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26.09.2025 नियत की गई थी। चूँकि विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2025 के क्रियान्वयन से प्रार्थिया/रिवीजनिष्ट के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था और उक्त प्रश्नगत आदेश से प्रार्थी/रिवीजनिष्ट को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा था तथा प्रतिवादी के पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, जिस कारण उन्होंने थाना पुलिस से सांठ–गांठ कर प्रार्थिया/रिवीजनिष्ट को परेशान कर रखा था, इसलिये रिवीजनिष्ट ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2025 के कियान्वयन को स्थगित करने के लिए दिनांक 02.09.2025 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र 8 ख देकर न्यायालय से निवेदन किया जिंस पर न्यायालय द्वारा प्राथना पत्र स्वीकार करते हुए, विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 15. 07.2025 के क्रियान्वयन को उक्त रिवीजन की अग्रिम तिथि तक स्थगित कर दिया। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 न्यायसंगत एवं रिवीजनिष्ट के मौलिक अधिकारों को दृष्टिगत रखते किया हुआ

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.01.22 15:47:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है तथा प्रश्नगत आदेश से विपक्षी पर व्यक्तिगत रूप से कोई विपरीत प्रभाव न तो पड़ रहा है न कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी क्रम में न्यायालय के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.07.2025 विधि विरूद्ध एवं गैरकानूनी है, क्योंकि रिवीजनिष्ट के घर का दरवाजा आम रास्ते पर खुला है, जिस पर प्रार्थिया के कॉलौनी के अन्य आवासों के दरवाजे भी खुले हुए हैं। प्रतिवादिनी के मकान के दरवाजे के सामने जयपाल सिंह के मकान का पीछे का दरवाजा उक्त आम रास्ते पर खुला हुआ है तथा उसका मुख्य दरवाजा पवन बिहार कालौनी में खुला हुआ है, मात्र पेचबन्दी के आधार पर व्यक्ति विशेष के विरूद्ध यह कार्यवाही की गई है, जबकि मौहल्ले के सभी लोगों के दरवाजे उक्त आम रास्ते पर खुले हुये है तथा सभी लोग आम रास्ते का पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहे हैं। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 पूर्णतः न्यायिक विवेक एवं परिस्थितियों को देखते हुए पारित किया गया है और न्यायहित में उक्त रिवीजन के निस्तारण तक स्थगन आदेश को प्रत्येक अग्रिम तिथि तक बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। ताकि विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.07.2025 का उद्देश्य सफल न हो पाये यदि न्यायालय का आदेश दिनांकित 02.09.2025 अग्रिम तिथि तक नहीं बढ़ाया जाता है तो प्रार्थिया के द्वारा दाखिल रिवीजन का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा। विपक्षी द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2025 को निरस्त कर प्रार्थिया/रिवीजनिष्ट का रिवीजन गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थिया/रिवीजनिष्ट द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र दिनांक 26.11.2025 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश के अंतरण आदेश दिनांकित–27.08.2025 के अनुक्रम में, उक्त रिवीजन इस न्यायालय को वास्ते सुनवाई/बहस हेतु दिनांक–01.09.2025 को प्राप्त हुआ, जिसमें अग्रिम तिथि दिनांक–26.09.2025 नियत की गयी थी, परन्तु न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता की ओर से नियत तिथि से पूर्व उपस्थित होकर, निगरानी में पूर्व में दाखिल प्रार्थनापत्र 6ख का निस्तारण किये जाने की याचना की गयी, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक–02.09.2025 को आदेश पारित करते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–15.07.2025 के क्रियान्वयन पर अग्रिम तिथि तक रोक लगा दी थी, जिसके विरूद्ध प्रार्थी/विपक्षी सं० 1 द्वारा प्रार्थनापत्र के माध्यम से न्यायालय के आदेश दिनाक 02.09.2025 की सूचना विपक्षीगण को नहीं दिये जाने, न ही रिवीजनकर्ता के प्रार्थनापत्र 6ख पर से पूर्व कोई नोटिस दिया गयाा, बल्कि विपक्षीगण द्वारा उक्त आदेश के संबंध में नोटिस दिनांक 07.10.2025 को प्राप्त होने का कथन किया गया है। यह भी कहा है कि इसी कारण रिवीजनकर्ता के प्रार्थनापत्र 6ख पर विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति न की गयी, जिस कारण विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक–02.09.2025 को वापिस किये जाने की याचना की गयी। इसके विपरीत प्रार्थिया/रिवीजनकर्ता की ओर से प्रार्थनापत्र में उठाये गये तथ्यों का खण्डन करते हुए, प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने एवं न्यायालय के आदेश को अग्रेत्तर बढ़ाये जाने की याचना की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–02.09.2025 के संबंध में विपक्षीगण को नोटिस की कोई तामील नहीं है, न ही कोई आपत्ति दाखिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिवीजनकर्ता/प्रार्थिया द्वारा न्यायालय के समक्ष नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को गुमराह करते हुए, अन्यत्र तथ्यों का हवाला देकर

प्रश्नगत आदेश पारित करा लिया गया। चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक–15.07.2025 की बावत, विपक्षीगण के उपस्थित होने के पश्चात उक्त रिवीजन गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना आवश्यक है। पत्रावली पर विपक्षीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश एकपक्षीय दिनांक–02.09.2025 निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। रिवीजनकर्ता/प्रार्थिया की ओर से औपचारिक आपत्ति की गयी है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थनापत्र 13 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र 13 ख स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति दिनांक–22.01.2026 निस्तारित की जाती है। न्यायालय द्वारा पूर्व एकपक्षीय आदेश दिनांक–02.09.2025 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई/बहस हेतु दिनांक–––––––को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या– 06, मथुरा